

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -
(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

7- परियोजना / स्कीम का स्थान

(1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र

(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि / श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का गौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हो / तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय / पौरम्यरिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हो / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

जनपद चम्पली से प्र० म० शा० स० मो० फेज 10 के अन्तर्गत मिर्जा गिरा डांगलोली ज्यूज मोटर मार्ग

उत्तराखण्ड

चम्पली

वडीनाथ वन प्रभाग डोपेश्वर

उत्तम

0.1 700.84

प्रस्ताव संलग्न

प्रस्तावित क्षेत्र में भूक्षरण की सम्भावना नहीं है, भू-वैज्ञानिक की आरव्या संलग्न

नहीं

नहीं

नहीं

वनपंचायत व सिविल वन भूमि न्यूनतम है, अभी भाग प्रस्तावित है, स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य करवाया जायेगा,

नहीं

संलग्न

106

4

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

संलग्न

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिय्य

प्राकृतन प्रस्ताव मे संलग्न

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र - 8030 वर्ग कि०मी०
- (2) जिले का वन क्षेत्र - 5061.002 वर्ग कि०मी०
- (3) मामलों की संख्या सहित, 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 213 भाग 843.00 हे० 766.26 हे०
- (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर - रिक्त
- (5) 2013 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर - रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 843.00 हे० 766.26 हे०

लागू नहीं

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्तुति दी जाती है।

तिथि - अलकनन्दा
स्थान - वन प्रभाग
हस्ताक्षर

वनक्षेत्राधिकारी
असेंड सिमली रेंज
नारायणगढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
अलकनन्दा वन संरक्षण वन
(नाम प्रमाण पोस्टमैन)
फोन नं० 0197-262626

प्रभागीय वन अधिकारी
वृद्ध नरेश ना।
मोबा. नं० 9896262626